उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद

पत्रांकः 797–ई/पालिसी/2018
दिनांकः .06..2018

RBE No-58/2018
NCRPS No. 5230/2018

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि.उप महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक/सा. मु.प्रशा.अधि/नि
मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झाँसी।
मुख्य कारखाना प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शाप, झाँसी।
मुख्य कारखाना प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।
उप मुख्य सामाग्री प्रबन्धक/झाँसी, उप मु.अभि/सीपीओएच/इला., उप मु.अभि./सीएसपी/इला.
प्रिन्सिपल – सुपरवाईजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झाँसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, इला., एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कषाप,झाँसी, सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर,कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेनिंग सेन्टर,झाँसी, ट्रान्सपोर्टेषन,ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगज,इला., इलेक्ट्रिक, ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झाँसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर,कानपुर, मु.प्रा.अधि/ आईआरपीएमयू/नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाईन/इला./झाँसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज/लाईन/झाँसी।
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Subject: Rate of Dearness Allowance applicable w.e.f. from 01.01.2018 to Railway employees continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/grade pay as per 6th Central Pay Commission.

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या PC-VI/385 दिनांक 12.04.2018 की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त।

(V.P.Singh)
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. कार्यालय अधीक्षक,उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मुख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
4. सीपीआई– एससी–एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए

29

GOVOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBL-2018-642
18-4-18

S.No. PC-VI/385 | **RBE No. 58/2018**

No. PC-VI/2008/I/7/2/1 | **New Delhi, dated 12.4.2018**

The GMs/CPO(R),
All Zonal Railways & Production Units,
(as per mailing list)

Sub: Rate of Dearness Allowance applicable w.e.f. from 01.01.2018 to Railway employees continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/ grade pay as per 6th Central Pay Commission.

Please refer to this Ministry's letter of even number dated 17.11.2017 (S.No. PC-VI/379, RBE No.169/2017) revising the rates of Dearness Allowance w.e.f. 01.07.2017 in respect of railway employees continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/ grade pay as per 6th Central Pay Commission.

2. The rate of DA admissible to railway employees of above category shall be enhanced from the existing rate of 139% to 142% w.e.f. 01.01.2018.

3. The provisions contained in Paras 3,4 & 5 of this Ministry's letter of even number dated 09.09.2008 (S.No. PC-VI/3, RBE No.106/2008) shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Authority- MoF's OM No.1/3/2008-E.II(B)dated 28.3.2018).

(U.K.Tiwari)
Dy. Director, Pay Commission-VI
Railway Board

19.4.18 P.CCD

No.PC-VI/2008/I/7/2/1 | **New Delhi, dated 12.4.2018**

Copy to the Deputy Controller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi(with 40 spares).

For Financial Commissioner/Railways.

प्र0 मुकाधि0
मुकाधि0 (प्रश0)
मुकाधि0 (अ0 आ0)
उप मुकाधि0
उप मुकाधि0 (स्था0)
उप मुकाधि0 (ई0)
अध्यक्ष/रे0ग0प्र0
प्र0 का0 अधि0 (राज)
प्र0 का0 अधि0 (औ0सं0)
प्र0का0 अधि0 (स्था0)
स0का0धि0 (आई0 आर0)
स0का0धि0 (भर्ती)
प्र0 कार्या0 अधी0 / कार्या0 अधी0 Policy

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

क्र.सं. पी सी-VI/ 385 | **आर बी ई सं. /2018**

सं. पी सी- VI/2008/I/7/2/1 | **नई दिल्ली, दिनांक 12.04.2018**

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: छठवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान में अपने वेतन का आहरण जारी रखने वाले रेल कर्मचारियों को 01.01.2018 से लागू महंगाई भत्ते की दर।

रेल मंत्रालय के दिनांक 17.11.2017 के समसंख्यक पत्र (क्रम सं. पी सी - VI/379 आरबीई सं. 169/2017) जिसमें उन रेल कर्मचारियों, जो संशोधनपूर्व वेतनमान (छठवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान) में अपना वेतन आहरण कर रहे हैं, के संबंध में दिनांक 01.07.2017 से महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन करने के संबंध में है, का अवलोकन करें ।

2. उपरोक्त कोटि के रेल कर्मचारियों के लिए लागू महंगाई भत्ते की दर को दिनांक 01.01.2018 से मौजूदा 139% से 142% तक बढ़ा दिया जाएगा।

3. इस मंत्रालय के 09.09.2008 के समसंख्यक पत्र (क्रम सं. पी सी - VI/3, आरबीई सं. 106/2008) के पैरा 3, 4 एवं 5 में निहित उपबंध इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय लागू किए जाते रहेंगे ।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

[प्राधिकार: वित्त मंत्रालय का दिनांक 28.03.2018 का का.ज्ञा. सं. 1/3/2008-ई.II(बी)]

(यू. के. तिवारी)
उप निदेशक/वेतन आयोग-VI
रेलवे बोर्ड

सं. पी सी-VI/2008/I/7/2/1 | **नई दिल्ली, दिनांक 12.04.2018**

प्रतिलिपि उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), नई दिल्ली को अग्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियां)

कृते वित्त आयुक्त, रेलें.